आदेश की क्रम सं0 और तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) **अधिहरण वाद सं0— 08/2020** **राज्य–बनाम–नासिर मुखिया वगैरह** (ताराटांड थाना कांड सं0 13/2020)	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
07.01.25	अभिलेख उपस्थापित। जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह, के पत्रांक–352 दिनांक–11.06.2020 के आलोक में ताराटांड थाना कांड सं0 13/2020 The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation and Storage) Rules 2017 के नियम 11(V) के तहत अनुसंधानकर्त्ता द्वारा गाण्डेय अंचल अंतर्गत थाना–ताराटांड के बदगुण्दा, कुंडलवादह एवं मटकुरिया में क्रमशः 133115 घनफुट, 73494 घनफुट एवं 32907 घनफुट, कुल 239516 (दो लाख उनचालिस हजार पाँच सौ सोलह) घनफुट बालू खनिज का अवैध भंडारण जब्त कर उक्त बालू के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई है। उक्त के आलोक में अधिहरण वाद सं0 08/2020 राज्य–बनाम–नासिर मुखिया वगैरह (ताराटांड थाना कांड सं0 13/2020) का संधारण कर सुनवाई प्रारंम्भ की गई। तदोपरांत उक्त वाद के संबंध में उल्लेखनीय है कि अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में संधारित अधिहरण वाद सं0 09/2022 में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(Cr) No. 1212 of 2023 सीता राम महतो एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 की कंडिका–6 जो निम्नवत् हैः– *"In view of law declared by the co-ordinate Bench of this Court, the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate is not a competent authority to pass the order of confiscation. Accordingly, the order dated 03.11.2023 passed by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Giridih in Confiscation Case No. 09 of 2022 is, hereby, quashed and set aside and the matter is remitted back to the learned court below who has taken cognizance, to pass an appropriate order in accordance with law."*	

उक्त न्यायादेश के आलोक में इस अधिहरण वाद सं0 08/2020 राज्य–बनाम–नासिर मुखिया वगैरह (ताराटांड थाना कांड सं0 13/2020) वाद को Drop(समाप्त) किया जाता है।

उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराया जाय।

लेखापित एवं संशोधित,

07/01/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

07/01/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 08 /न्या0 दिनांक 07/01/2025

प्रतिलिपिः–जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह को उनके पत्रांक–352 दिनांक–11.06.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/01/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2025.01.08 20:55:52 +05:30
Location: 192.168.0.123